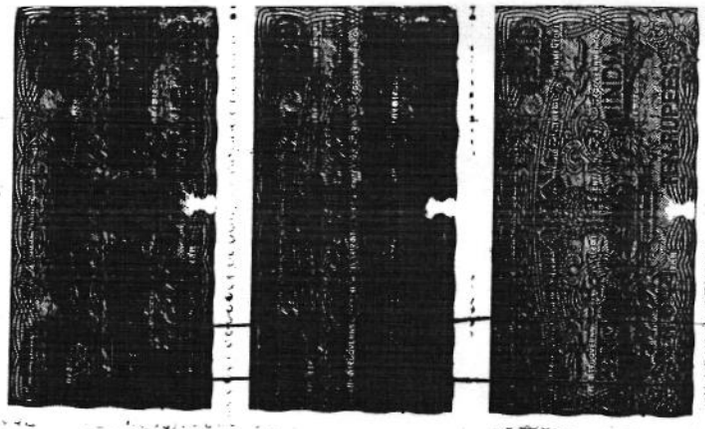

न्यायालय श्रीमान राजस्व निरीक्षक मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017 (निगरानी) R-1299-I-17

लखना सेन पुत्र श्री रामदयाल सेन, आयु –65 वर्ष, व्यवसाय – कृषि, निवासी– ग्राम दलीपुर, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर म.प्र. .....निगरानीकर्ता

बनाम

नन्नी पुत्र श्री चौदा ढीमर, आयु – 60 वर्ष, व्यवसाय– कोटवार, निवासी– ग्राम दलीपुर, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर म.प्र.

.....प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सहिता विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.06.2015 जो कि तहसीलदार महोदय घुवारा द्वारा रा.प्र.क्रं. 12/अ–3/2013–14 में एक पक्षीय रूप से पारित किया।

श्रीमान,

महोदय प्रार्थी/निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न अनुसार सादर प्रस्तुत की जा रही है:–

1. यहकि, निगरानीकर्ता भूमि खसरा नंबर 544/1/2 रकवा 0.809है. स्थित ग्राम दलीपुरा तहसील घुवारा जिला छतरपुर म.प्र. का भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी है।

2. यहकि, उक्त भूमि खसरा नंबर 544 का काफी बड़ा रकवा है तथा मौके पर व राजस्व अभिलेखों में पूर्व में कोई तरमीम नहीं हुई है। निगरानीकर्ता उक्त प्रकरण में विवादित सर्वे नंबर 544/1/2 रकवा 0.809है. पर पिछले लगभग 30 वर्षो से अधिक समय से काबिज होकर उक्त भूमि को काश्त कर कृषि लाभ ले रहा है।

3. यहकि, प्रति निगरानीकर्ता का न तो विवादित सर्वे नंबर 544/1/2 से कभी कोई सरोकार ही रहा है न ही प्रतिनिगरानीकर्ता का उक्त सम्पर्ण खसरा नंबर 544 के किसी भाग पर आज दिनांक तक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1299-एक/2017 जिला छतरपुर **लखना विरूद्ध नन्नी**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018 31.12.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा तहसीलदार घुवारा के प्रकरण क्रमांक 12/अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 24-06-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-04-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि	

लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य